भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2228

गुरूवार, 16 दिसम्बर, 2021/25 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र के लिए विपणन विकास सहायता योजना

2228. डा. अमी याज्ञिक:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई विपणन गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने अपनी विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय 'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच)' और 'बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार' (ओपीएमडी) की अपनी चालू योजनाओं के माध्यम से भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। इन योजनाओं के तहत पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है और यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों, पर्यटन संबंधी सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कन्वेंशन, रोड शो तथा अन्य संवर्द्धनात्मक गतिविधियों में भाग लेता है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय देश के भीतर घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन तथा प्रचार के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाता है।

(ख) और (ग): पर्यटन मंत्रालय, संशोधित विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत, विदेशी बाजारों से भारत में पर्यटन के संवर्द्धन और विपणन करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनों और अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों के दौरान एमडीए के तहत गुजरात सरकार के राज्य पर्यटन विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****